

अनुबंध 2

Annexure -2

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा:

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) सामाजिक, नैतिक और पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक कंपनी की प्रतिबद्धता है जिसमें यह व्यवसाय को ऐसे तरीके से संचालित करके स्थिरता पहल के माध्यम से एक स्थायी समाज विकसित करने में योगदान देता है जो व्यवसाय और समाज दोनों के लिए फायदेमंद है। इसलिए, सीएसआर सतत विकास के अभ्यास से निकटता से जुड़ा हुआ है, सीएसआर परोपकारी गतिविधियों से आगे बढ़ता है और सामाजिक और व्यावसायिक लक्ष्यों के एकीकरण तक पहुंचता है। इन गतिविधियों को उन गतिविधियों के रूप में देखा जाना चाहिए जो लंबी अवधि में स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने में मदद करेंगी।

पीडीआईएल पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों से निपटने में परिहार, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक स्थायी तरीके से अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों और टिकाऊ पर्यावरणीय प्रथाओं के पालन के माध्यम से समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पहल शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी में सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक प्रावधानों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी की सीएसआर नीति के अनुरूप की गईं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम सं. SI. No.	नाम Name	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति Designation/ Nature of Directorship	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने के लिए पात्र कुल बैठकों की संख्या Total number of meetings entitled to attend during FY 2023-24	उपस्थित बैठकों की संख्या Number of meetings attended
1.	सुश्री अनीता सी मेश्राम (31.10.2023 तक) Ms Aneeta C Meshram (upto 31.10.2023)	अध्यक्ष, सीएमडी Chairperson, CMD	2	2
2.	डॉ अनिल पटेल (06.09.2023 से सदस्य और 28.12.2023 से अध्यक्ष) Dr. Anil Patel (Member w.e.f. 06.09.2023 and Chairman w.e.f. 28.12.2023)	अध्यक्ष एवं सदस्य, स्वतंत्र निदेशक Chairman & Member, Independent Director	शून्य Nil	शून्य Nil
3.	श्री मिलिंद पाटिल (06.09.2023 से सदस्य) Shri Milind Patil (Member w.e.f. 06.09.2023)	सदस्य, स्वतंत्र निदेशक Member, Independent Director	शून्य Nil	शून्य Nil
4.	लेफ्टिनेंट जनरल विश्वम्भर सिंह Lt. Gen Vishwambhar Singh	सदस्य, स्वतंत्र निदेशक Member, Independent Director	2	2

1. Brief outline on CSR Policy of the Company:

Corporate Social Responsibility (CSR) is a company's commitment to address social, ethical and environmental concerns in which it operates and contribute to develop a sustainable society through sustainability initiatives by conducting business in a manner that is beneficial to both, business and society. CSR is, therefore, closely linked with the practice of sustainable development, CSR extends beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of social and business goals. These activities need to be seen as those which would, in the long term, help secure a sustainable competitive advantage.

PDIL is committed to conduct its business in a sustainable manner adhering to the principles of Avoidance, Minimization and Mitigation in dealing with environmental and social issues and include initiatives for Social & Economic Development of communities through rural development, education, skill development, health and other areas of national importance and adherence to sustainable environmental practices

The CSR activities in the Company for the FY 2023-24 were undertaken in line with the statutory provisions under the Companies Act, 2013, the guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central PSUs and the CSR Policy of the Company.

2. Composition of CSR Committee:

क्रम सं. SI. No.	नाम Name	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति Designation/ Nature of Directorship	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने के लिए पात्र कुल बैठकों की संख्या Total number of meetings entitled to attend during FY 2023-24	उपस्थित बैठकों की संख्या Number of meetings attended
5	श्री उज्ज्वल कुमार Shri Ujjwal Kumar	सदस्य, सरकार द्वारा नामित निदेशक Member, Government Nominee Director	2	2
6	सुश्री नजत जे. शेख (08.02.2024 तक) Ms. Nazhat J. Shaikh (upto 08.02.2024)	सदस्य, निदेशक (वित्त) Member, Director (Finance)	2	2
7	श्री हीरा नंद (19.03.2024 से सदस्य) Shri Hira Nand (Member w.e.f. 19.03.2024)	सदस्य, निदेशक (वित्त) Member, Director (Finance)	शून्य Nil	शून्य Nil

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।

http://www.pdilin.com/pdf/csr_sustainability_policy.pdf
(सीएसआर नीति)

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)

इस वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान की गई कोई भी सीएसआर गतिविधि ₹1 करोड़ या उससे अधिक नहीं थी जिसके लिए प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता है।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण:

3. Provide the web-link where composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.

http://www.pdilin.com/pdf/csr_sustainability_policy.pdf
(CSR Policy)

4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report)

Not applicable for this financial year. Further, none of the CSR activities taken up during FY 2023-24 were ₹1 crore or above for which impact assessment is required.

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any:

क्र. सं. S. No.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से कटौती के लिए उपलब्ध राशि (₹. में) Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs.)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो (₹. में) Amount required to be setoff for the financial year, if any (in Rs.)
1	2020-21	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
2	2021-22	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
3	2022-23	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
	कुल/ TOTAL	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ : ₹ 1,523.90 लाख

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹ 30.48 लाख

6. Average net profit of the company as per section 135(5): ₹ 1,523.90 Lakhs

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5): ₹ 30.48 Lakhs

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:	शून्य	(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years:	Nil
(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो:	शून्य	(c) Amount required to be set off for the financial year, if any:	Nil
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7 क +7 ख -7 ग):	₹ 30.48 लाख	(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c):	₹ 30.48 Lakhs

8. (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

(a) CSR amounts spent or unspent for the financial year 2023-24:

राशि (₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल व्यय राशि (लाख रूप में) Total Amount Spent for the Financial Year 2023-24 (in Rs Lakh)	धारा 135(6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि Total Amount transferred to Unspent CSR account as per Section 135(6)		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5)		
	राशि Amount	स्थानांतरण की तिथि Date of Transfer	निधि का नाम Name of Fund	राशि Amount	स्थानांतरण की तिथि Date of transfer
	शून्य/ NIL	30.48*	30.04.2024	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL
कुल/ Total	30.48				

* नोट:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में, ₹ 30.48 लाख की राशि, जो वित्त वर्ष 2023-24 की चल रही सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अव्ययित रह गई थी, 30.04.2024 को अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।

*Note:

In compliance with the provision of Section 135(6) of the Companies Act, 2013, an amount of ₹ 30.48 lakh, which remained unspent pertaining to the ongoing CSR activities of FY 2023-24, was transferred to the Unspent CSR Account on 30.04.2024.

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

विवरण **अनुबंध-3** पर संलग्न है

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

शून्य

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि:

शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो:

शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8 ख +8 ग +8 घ +8 ङ)

: शून्य

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: कोई नहीं

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

Details attached at **Annexure-3**

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year:

NIL

(d) Amount spent in Administrative Overheads:

शून्य

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable:

NIL

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e)

: NIL

(g) Excess amount for set off, if any :

N.A

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण:

(a) Details of unutilized CSR amount for the last three financial years:

राशि (₹ लाख में)

क्रम सं. Sl. No.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष Preceding Financial year	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग अवधि में खर्च की गई राशि (₹. में)	धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की गई राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹. में)	कमी, यदि कोई हो Deficiency, if any
		Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135(6) (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under section 135(6) (in Rs)	Amount Spent in the Reporting period (in Rs)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5), if any	Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in Rs)	
					राशि Amount	स्थानांतरण की तिथि Date of transfer	
1	2020-21	-	-	-	-	-	-
2.	2021-22	74.82	शून्य/ NIL	शून्य/ NIL	40.65	23.09.2022	शून्य/ NIL लागू नहीं/ N.A.
3	2022-23	33.84	शून्य/ NIL	33.84*	30.96	17.07.2023	शून्य/ NIL लागू नहीं/ N.A.
	कुल /Total	108.66	शून्य/ NIL	33.84	71.61		शून्य/ NIL

*नोट: इस परियोजना के लिए निर्धारित ₹21.50 लाख में से केवल ₹2.88 लाख खर्च करके सीएसआर परियोजना पूरी करने के बाद, शेष ₹18.62 लाख बिना खर्च किए सीएसआर खाते में रह गए। यह राशि, पीएम केयर्स फंड के लिए निर्धारित ₹12.34 लाख के साथ, कुल ₹30.96 लाख, पीएम केयर्स फंड में स्थानांतरित कर दी गई।

*Note: After completion of the CSR project by spending only ₹2.88 Lakh out of ₹21.50 Lakhs earmarked for this project, the remaining ₹18.62 Lakhs was left in the unspent CSR account. This amount, along with ₹12.34 Lakhs earmarked for the PM CARES Fund, totaling ₹30.96 Lakhs, was transferred to the PM CARES Fund.

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

राशि (₹ लाख में)/ Amount (₹ in Lakh)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं. Sl. No.	प्रोजेक्ट आईडी Project ID	परियोजना का नाम Name of the Project	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई Financial Year in which the project was commenced	परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि Total amount allocated for the project	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि Amount spent on the project in the reporting Financial Year	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/ चालू Status of the project - Completed/ Ongoing
1	वित्तीय वर्ष-1 (31-03-2023) FY-1 (31-03-2023)	जीआईएमएस, ग्रेटर नोएडा के लिए 10 रोगी मॉनिटर 10 nos. Patient Monitors for GIMS, Greater Noida	2022-23	लागू नहीं N.A	21.50	2.88	2.88	पूर्ण Completed

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं. Sl. No.	प्रोजेक्ट आईडी Project ID	परियोजना का नाम Name of the Project	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई Financial Year in which the project was commenced	परियोजना अवधि Project duration	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि Total amount allocated for the project	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि Amount spent on the project in the reporting Financial Year	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/ चालू Status of the project - Completed/ Ongoing
2	वित्तीय वर्ष-1 (31-03-2023) FY-1 (31-03-2023)	पीएमकेयर्स फंड में दान Donation to PMCARES Fund	2022-23	लागू नहीं N.A	12.34	30.96*	30.96*	पूर्ण Completed
कुल / Total					33.84	33.84	33.84	

*नोट: इस परियोजना के लिए निर्धारित ₹21.50 लाख में से केवल ₹2.88 लाख खर्च करके सीएसआर परियोजना पूरी करने के बाद, शेष ₹18.62 लाख बिना खर्च किए सीएसआर खाते में रह गए। यह राशि, पीएम केयर्स फंड के लिए निर्धारित ₹12.34 लाख के साथ, कुल ₹30.96 लाख, पीएम केयर्स फंड में स्थानांतरित कर दी गई।

*Note: After completion of the CSR project by spending only ₹2.88 Lakh out of ₹21.50 Lakhs earmarked for this project, the remaining ₹18.62 Lakhs was left in the unspent CSR account. This amount, along with ₹12.34 Lakhs earmarked for the PM CARES Fund, totaling ₹30.96 Lakhs, was transferred to the PM CARES Fund.

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण):	शून्य	10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (asset-wise details):	NIL
(क) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि:	शून्य	(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s):	NIL
(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि:	शून्य	(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset:	NIL
(ग) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि:	शून्य	(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.:	NIL
(घ) निर्मित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें:	शून्य	(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset):	NIL

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें

लागू नहीं।
हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित खाते को खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135(5):

Not Applicable. However, unspent account transferred to account in accordance to Section 135(6) of the Companies Act, 2013:

ह/-

यू. सरवणन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07274628)

स्थान: नोएडा

दिनांक: 18.09.2024

ह/-

हीरा नंद

निदेशक (वित्त)
(डीआईएन: 09476034)

sd/-

U. Saravanan

Chairman & Managing Director
(DIN: 07274628)

Place: Noida

Date: 18.09.2024

sd/-

Hira Nand

Director (Finance)
(DIN: 09476034)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:
Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year 2023-24:

(1) क्रम सं. Sl. No.	(2) परियोजना का नाम Name of the Project	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम Item of activities in Schedule VII to the Act	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं) Local area (Yes/ No)		(5) परियोजना का स्थान Location of the project		(6) परियोजना अवधि Project duration	(7) परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ लाख में) Amount allocated for the project (₹ in Lakh)	(8) चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में) Amount spent in the current financial Year (₹ in Lakh)	(9) धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अत्यधिक सीएसआर खर्च में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (₹ in Lakh)	(10) कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं) Mode of Implementation - Through Implementing Agency		(11) कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से Mode of Implementation - Through Implementing Agency
			राज्य State	जिला District	नाम Name	संख्या CSR Registration number							
1.	रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज (01 नं.) Refrigerated Centrifuge (01 No.)	स्वास्थ्य Health	हाँ Yes	नोएडा Noida	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	लागू नहीं N.A.	19.82	0.00	19.82	हाँ Yes	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	
2.	भोजन पकाने और परोसने के लिए आवश्यक उपकरण (कुल 08 आइटम) Equipment Required to cook & serve the food (Total 08 Items)	पोषण Nutrition	हाँ Yes	गाजियाबाद Ghaziabad	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	लागू नहीं N.A.	3.17	0.00	3.17	हाँ Yes	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	
3.	पीएम केयर्स फंड में दान Donation to PM CARES Fund	पीएम केयर्स फंड PM CARES Fund	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	7.48	0.00	7.48	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं N.A.	
कुल/ Total							30.48		30.48				

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में, ₹ 30.48 लाख की राशि, जो वित्त वर्ष 2023-24 की चल रही सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अत्यधिक रह गई थी, 30.04.2024 को अत्यधिक सीएसआर खर्च में हस्तांतरित कर दी गई थी।

Notes: In compliance with the provision of Section 135(6) of the Companies Act, 2013, an amount of ₹ 30.48 Lakh, that remained unspent relating to ongoing CSR activities of FY 2023-24, was transferred to Unspent CSR Account on 30.04.2024.